

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी

संख्या- 480 / 12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण / 2019-20

दिनांक: जनवरी 28 2020

आदेश

उ० प्र० सरकार की विज्ञप्ति संख्या-617-14, दिनांक 11 अक्टूबर 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या-8802/1-क दिनांक दिसम्बर 20, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20 (5)-2016 दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं शिव सहाय अवस्थी, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा रैपुरा, तहसील गरौठा के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क.	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	गरौठा	गरौठा	रैपुरा	528 मि. 537	9.033 हे० 7.2305 हे०	श्रेणी-6-4 बेहड़	उ० प्र० शासन लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ द्वारा लोक निर्माण विभाग, विश्व बैंक खण्ड, झाँसी (निःशुल्क)
					2 किता	16.2635 हे०		

(शिव सहाय अवस्थी)
जिलाधिकारी, झाँसी।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूच्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2-प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० अनुभाग-5 लखनऊ।
- 4-आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी।
- 5-निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ० प्र० इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 6-प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, झाँसी।
- 7-अधिशाली अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो० नि० वि०, झाँसी।

8-उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, गरौठा को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये, दो प्रतियाँ सम्बन्धित ग्राम में चस्पा कराकर वृहद प्रचार-प्रसार कराये तथा दो प्रतियाँ रजिस्टार कानूनगो को अमल दरासद करके नकल खतौनी उपलब्ध कराने व कब्जा दिलाये जाने हेतु।

28/01/2020
(शिव सहाय अवस्थी)
जिलाधिकारी, झाँसी।